डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 — 115 / 2024

अनवान : —

1. सुनिल झाझडिया पुत्र रमेश जाति जाट आयु 28 वर्ष निवासी डोभी तहसील भादरा।

— वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र मंशीराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)
2. कविता पुत्री रमेश जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
4. बाला पत्नी रमेश जाति जाट निवासी गांव डोभी तहसील भादरा।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बी.एच.डी. के खात संख्या 91 / 16 के मु0न0 34 के किला नं0 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला नं0 21 / 1 की 0.240है0 किला नं0 21 / 2 की 0.013है0, किला नं0 22 / 1 की 0.240है0, किला नं0 22 / 2 की 0.013है0 मु0न0 40 के किला नं0 4 / 3 की 0.126है0, किला नं0 5 की 0.253है0, मु0न0 41 के किला नं0 1 / 1 की 0.228है0, किला नं0 1 / 2 की 0.025है, किला नं0 2 / 3 की 0.114है0, किला नं0 2 / 4 की 0.012है0 कुल खसरे 16 की 2.7820है0, नहरी 2.7190है0 गैर मुमकीन रास्ता 0.026है0, गैर मुमकिन खाला 0.037है0 खातदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश का नाम कलमजन कर वादी सुनिल कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चूंकि प्रतिवादीगण ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.11 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 115/2024
अनवान : –
1. सुनिल झाझडिया पुत्र रमेश जाति जाट आयु 28 वर्ष निवासी डोभी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र मंशीराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)
2. कविता पुत्री रमेश जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
4. बाला पत्नी रमेश जाति जाट निवासी गांव डोभी तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत
धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग वादी
श्री रामचन्द्र बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 बी.एच.डी. के खाता संख्या 91/16 के मु0न0 34 के किला नं0 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला नं0 21/1 की 0.240है0 किला नं0 21/2 की 0.013है0, किला नं0 22/1 की 0.240है0, किला नं0 22/2 की 0.013है0 मु0न0 40 के किला नं0 4/3 की 0.126है0, किला नं0 5 की 0.253है0, मु0न0 41 के किला नं0 1/1 की 0. 228है0, किलरा नं0 1/2 की 0.025है, किला नं0 2/3 की 0.114है0, किला नं0 2/4 की 0.012है0 कुल खसरे 16 की 2.7820है0, नहरी 2.7190है0 गैर मुमकीन रास्ता 0.026है0, गैर मुमकिन खाला 0.037है0 खातदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी सम्पति है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी सम्पति होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ वादी एवं प्रतिवादीया संख्या 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने सर्मूण हक हिस्सा की कृषि भूमि को वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए वादी उक्त कृषि भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिए वादी यह घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है कि उक्त दर्ज कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया । राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान सरंकार जरिये तहसीलदार जबाबदावा पेश किया गया ।

साक्ष्यवादी में वादी सुभाष द्वारा मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। जिनमें जमाबंदी चक 7 बारानी भादरा के खाता सं0 160/152 संवत 2074–77 प्रदर्श 1 बैयनामा प्रदर्श 2ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.11 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 12 बी.एच.डी. के खात संख्या 91/16 के मु0न0 34 के किला नं0 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला नं0 21/1 की 0.240है0 किला नं0 21/2 की 0.013है0, किला नं0 22/1 की 0. 240है0, किला नं0 22/2 की 0.013है0 मु0न0 40 के किला नं0 4/3 की 0.126है0, किला नं0 5 की 0. 253है0, मु0न0 41 के किला नं0 1/1 की 0.228है0, किलरा नं0 1/2 की 0.025है, किला नं0 2/3 की 0.114है0, किला नं0 2/4 की 0.012है0 कुल खसरे 16 की 2.7820है0, नहरी 2.7190है0 गैर मुमकीन रास्ता 0.026है0, गैर मुमकिन खाला 0.037है0 खातदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रमेश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 रमेश, प्रतिवादी संख्या 2 कविता व प्रतिवादी संख्या 4 बाला पत्नी रमेश उक्त वर्णित भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी सुनिल अकेला खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही चक 12 बी.एच.डी. के खात संख्या 91/16 के मु0न0 34 के किला नं0 9 ता 12, 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला नं0 21/1 की 0.240है0 किला नं0 21/2 की 0.013है0, किला नं0 22/1 की 0.240है0, किला नं0 22/2 की 0.013है0 मु0न0 40 के किला नं0 4/3 की 0.126है0, किला नं0 5 की 0.253है0, मु0न0 41 के किला नं0 1/1 की 0.228है0, किलरा नं0 1/2 की 0.025है, किला नं0 2/3 की 0.114है0, किला नं0 2/4 की 0.012है0 कुल खसरे 16 की 2.7820है0, नहरी 2.7190है0 गैर मुमकीन रास्ता 0.026है0, गैर मुमकिन खाला 0.037है0 खातदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश का नाम कलमजन कर वादी सुनिल कुमार अकेला खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चूंकि प्रतिवादीगण ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.11 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner